न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 297/2021
जीएसएमएस सं. – 2021/359

:– प्रार्थी :–

रामपाल पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

:– अप्रार्थीगण :–

1. पेमाराम पुत्र गिरधारीराम
2. डूंगरराम पुत्र गिरधारीराम
3. गट्टूड़ी पत्नि सत्यनारायण
4. बक्साराम पुत्र मानाराम
5. रामनिवास पुत्र मादाराम
6. कमलादेवी पत्नि मादाराम
   सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 22.06.2021

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री रामदयाल चौधरी, अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अभिभाषक, अप्रार्थी सं. 6

निर्णय

दिनांक : 30.01.2023

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1111 रकबा 1.4724 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1848 रकबा 0. 6553 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1849 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा, खसरा नं. 1850 रकबा 1.3429 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा न. 2043 रकबा 0.6068 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 2398/1 रकबा 0.3317 हैक्टेयर किस्म सेवज सोयम, खसरा सं. 2398/2 रकबा 0.4369 हैक्टेयर किस्म सेवज सोयम व खसरा संख्या 2490 रकबा 0.7443 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, कुल खसरे 8 कुल रकबा 5.6388 हैक्टेयर भूमि आई हुई हैं जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा।

ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 4 व 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2544 रकबा 0.5259 हैक्टेयर कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CamScanner

आई हुई है। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा

ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2943 रकबा 1.4077 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयाँ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारीसुदा कब्जासुदा भूमियाँ हैं जिसका आज से करीब 30 वर्ष पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या से 2 के भाई व अप्रार्थी संख्या 3 के पति स्व. सत्यनारायण के जीवनकाल में ही बंटवाड़ा कर दिया गया था। जो भूमि की कीमत व उपजाउता के आधार पर कियागया था। 30 वर्ष पूर्व हुए बंटवाड़े के अनुसार प्रार्थी के बंट में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2398/1 रकबा 0.3317 हैक्टेयर रकबा 2398/2 रकबा 0.4369 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2490 रकबा 0.7443 हैक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा व खसरा संख्या 1848 रकबा 0.6553 रकबा, खसरा संख्या 1849 रकबा 0.0485 व खसरा संख्या 1850 रकबा 1.3429 हैक्टेयर का 1/4 वॉ हिस्सा रखा गया। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1111 रकबा 1.4724 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 पेमाराम के बंट में रखा गया। इसी प्रकार खसरा संख्या 2043 रकबा 0.6068 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 डूंगरराम के बंट व खसरा संख्या 1848 रकबा 0.6553 रकबा, खसरा संख्या 1849 रकबा 0.0485 व खसरा संख्या 1850 रकबा 1.3429 हैक्टेयर का 1ध्4 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 डूंगरराम के बंट में रखा गया। अप्रार्थी संख्या 3 गटूडी के पक्ष में खसरा संख्या 1848 रकबा 0.6553 रकबा, खसरा संख्या 1849 रकबा 0.0485 व खसरा संख्या 1850 रकबा 1.3429 हैक्टेयर का 1ध्2 वॉ हिस्सा रखा गया। मौके पर उक्तानुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 काबिज काश्त हैं व अपने बंट अनुसार ही उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। प्रार्थी ने आज से 30 वर्ष पूर्व हुए बंटवाड़े में आई भूमि खसरा संख्या 2398/1, खसरा संख्या 2398/2 व खसरा संख्या 2490 के चारो तरफ चारदीवारी का निर्माण करवाया व लाखो रुपये लगाकर उक्त भूमियों को उपजाउ बनाने के लिए उसमें खाद, गोबर इत्यादि डलवाकर उपजाउ बनाया हैं। इस प्रकार आज से करीब 30 वर्ष पूर्व हुए बंटवाड़ा अनुसार ही वादग्रस्त आराजीयॉ पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 काबिज होकर काश्त कार्य करते आ रहे हैं व उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। प्रार्थी आज से 30 वर्ष पूर्व हुए बंटवाड़े में अपने हक हिस्से में रखी गई भूमियों का खातेदार घोषित होने व बंटवाड़ा करवाने व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार हैं। जिसका कानून अनुसार बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2544 रकबा 0.5259 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 4 व 5 की संयुक्त खातेदारीसुदा, कब्जासुदा भूमि हैं जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 4, व 5 प्रत्येक का 1/4 वां हिस्सा निहित हैं। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 4 व 5 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। जिनका कानून बंटवाड़ा नही हुआ हैं। प्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाने व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2943 रकबा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CamScanner

1.4077 हैक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारीसुदा कब्जासुदा भूमि थी जिसमें प्रार्थी का 1/4 वी हक हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 3/4 वॉ हक हिस्सा निहित था। प्रार्थी ने खसरा संख्या 2943 रकबा 1.4077 हैक्टेयर का बंटवाड़ा करवाने के लिए जमाबंदी की नकल निकलवायी तो पता चला कि राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा संख्या 2943 के 1/4 वॉ हक हिस्से पर प्रार्थी का नाम इन्द्राज नहीं हैं तथा सम्पूर्ण खसरे पर अप्रार्थी संख्या 6 का नाम इन्द्राज है तब प्रार्थी ने उपपंजीयक कार्यालय भोपालगढ में दिनांक 26.05.2021 को उपस्थित होकर बैचान रजिस्ट्री दिनांक 20.09.2005 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि का फर्जी व कूटरचित बैचान हस्तांतरण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अप्रार्थी संख्या 6 कमला देवी के पक्ष में निष्पादित किया हुआ है। जिसमें प्रार्थी के हस्ताक्षर फर्जी व कूटरचित हैं। प्रार्थी ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2943 के 1/4 वॉ हक हिस्से का बैचान हस्तांतरण उपपंजीयक कार्यालय भोपालगढ में उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या 6 कमलादेवी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया हैं। ऐसे फर्जी व कूटरचित दस्तावेजो/कागजो से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। इस कारण प्रार्थी ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नं. 2943 रकबा 1.4077 हैक्टेयर का 1/4 वॉ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी हैं। उक्त बाद बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़े का व अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 6 द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य के विरुद्ध न्यायालय श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ शहर से इस्तगासा दायर करवाया है। दिनांक 24.05.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकियाँ दी कि वादग्रस्त आराजीयों में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हैं इस कारण वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर देंगे, खुर्द बुर्द कर देंगे व वादग्रस्त आराजीयों का बैचान हस्तांतरण किसी अजनबी व्यक्ति को कर देंगे व वादग्रस्त आराजीयों को रहन रख देंगे तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयों का आज से 30 वर्ष पूर्व पारिवारिक बंटवाड़ा हो चुका हैं उक्त बंटवाड़े अनुसार ही वादपत्र की पद संख्या 1 में वर्णित भूमियो पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 काबिज काश्त हैं व वादपत्र की पद संख्या 2 में वर्णित भूमियो पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 4 व 5 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं व वादपत्र की पद संख्या 3 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी का 1/4 वॉ हिस्सा हैं प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 6 को बैचान हस्तांतरण नहीं किया हैं। इस कारण आप प्रार्थी को बंटवाड़े में प्राप्त भूमियों व उनके हक हिस्से की भूमियों से बेदखल नहीं कर सकोंगे व बिना बंटवाड़ा करवायें सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तांतरण नहीं कर सकोंगे व रहन नहीं रख सकोंगे। प्रार्थी को बेदखल नहीं कर सकोगे। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयों का बंटवाड़ा करवाने को कहा जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 प्रार्थी से नाराज हो गये तथा दिनांक 24.05.2021 को ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त आराजीयों अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हैं इस कारण वादग्रस्त आराजीयों से प्रार्थी को बेदखल कर देंगे, खुर्द–बुर्द कर देंगे, वादग्रस्त आराजीयों का बैचान हस्तांतरण अजनबी व्यक्तियों को करवा देंगे व वादग्रस्त आराजीयों को रहन रख देंगे जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। जिसके लिए प्रार्थी को उक्त वाद अस्थाई निषेधाज्ञा, घोषणा खातेदारी व हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा में पेश करना पड़ रहा है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CamScanner

प्रार्थी बरखिलाफ अप्रार्थी संख्या 1 से 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों अनुसार दिनांक 24.05.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा वादग्रस्त आराजीयों से प्रार्थी को बेदखल करने, खुर्द बुर्द करने व वादग्रस्त आराजीयों का बैचान हस्तांतरण अजनबी व्यक्तियों को करने व वादग्रस्त आराजीयों को रहन रखने की ऐलानियों धमकी देने पर बमुकाम ग्राम खांगटा में उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में हैं क्योंकि वादग्रस्त आराजीयों प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुदा भूमियां है अगर वादग्रस्त आराजीयों से प्रार्थी को उनके हक हिस्से से बेदखल कर दिया, खुर्द बुर्द कर दिया व वादग्रस्त आराजीयों का बैचान हस्तांतरण अनजान व्यक्तियों को करवा दिया व वादग्रस्त आराजीयों को रहन रख दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रुपयों पैसों में नहीं आंका जा सकेगा।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन हैं कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाइ जावे कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजीयॉं खसरा संख्या 1111 रकबा 1.4724 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1848 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1849 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1850 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2043 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2398/1 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2398/2 रकबा 0.4369 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2490 रकबा 0.7443 हैक्टेयर का अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 बैचान हस्तांतरण नहीं करे, खुर्द–बुर्द नहीं करे व न ही रहन रखे व आज से 30 वर्ष पूर्व हुए बंटवाड़े में प्रार्थी के बंट में रखी गई भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 किसी प्रकार की दखलदांजी उत्पन्न नहीं करे न किसी अन्य से करावें। ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2544 रकबा 0.5259 हैक्टेयर का बैचान हस्तांतरण प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 नहीं करे, खुर्द–बुर्द नहीं करे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 व 5 दखलदांजी पैदा नहीं करे न किसी अन्य से करावें। ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 2943 रकबा 1.4077 हैक्टेयर भूमि का अप्रार्थी संख्या 6 बैचान हस्तांतरण नहीं करे व प्रार्थी के 1/4 वॉ हक हिस्से में अप्रार्थी संख्या 6 किसी प्रकार की दखलदांजी पैदा नहीं करे न किसी अन्य से करावें अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे प्रार्थी के हक हिस्सा में आई भूमि में कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी पैदा नहीं करे न किसी अन्य से करावें । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 1 से 5 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने एवं अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 6 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो इस प्रकार से है प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा में वाद अवश्य पेश किया लेकिन प्रस्तुत वाद मिथ्या बनावटी तथ्यो पर आधारित होने से एवं अप्रार्थी सं. छः के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निष्पादित किया हुआ होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई गुंजाईश नही हैं। वाद व प्रार्थना पत्र हर सूरत में काबिज खारिज फरमाने योग्य है। खसरा नम्बर 2943 क्षेत्रफल 1.4077 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या छः की खरीदसुदा कब्जासुदा, खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थी संख्या छः ने जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 20.09 2005 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक ता तीन से खरीद की हुई है। वक्त खरीद से खसरा नम्बर 2943 पर अप्रार्थी संख्या छः का अभिलिखत खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है अप्रार्थी संख्या छः के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1560 स्वीकृत किया हुआ है। प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या छः की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2943 रकबा 1.4077 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि आई हुई है। जबकि वास्तविकता यह है कि वर्ष 2005 में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक ता तीन ने उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा के अप्रार्थी संख्या छः को बैचान कर रखी है, वक्त खरीद से उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या छः का खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। इसलिए उक्त भूमि कतई विवादग्रस्त भूमि नहीं है। वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक ता तीन की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद्ध भूमियां है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से तीन के मध्य तीस वर्ष पूर्व बन्टवाड़ा नहीं हुआ है गलत तथ्य अंकित किये है। उक्त पद में वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक ता तीन की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद्ध भूमियां है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से तीन के मध्य तीस वर्ष पूर्व बन्टवाड़ा नहीं हुआ है गलत तथ्य अंकित किये है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2943 रकबा 1.4077 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 20.09.2005 को अप्रार्थी संख्या छः को बेचान कर रखी है। पंजीबद्ध बेचाननामा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने स्वयं उपस्थित होकर उप पंजीयक कार्यालय भोपालगढ में प्रार्थी के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा निष्पादित करवाया है जिस पर प्रार्थी स्वयं का फौटो लगा हुआ है व हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त भूमि पर वक्त खरीद से अप्रार्थी संख्या छः का खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि– प्रार्थी ने खसरा संख्या 2943 का बन्टवाड़ा करवाने के लिए जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो पता चला कि राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा संख्या 2943 के 1/4 वां हक हिस्से पर प्रार्थी का नाम इन्द्राज नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी स्वयं ने उप पंजीयक कार्यालय भोपालगढ में उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या छः के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा निष्पादित करवाया है। बेचान रजिस्ट्री दिनांक 20.09.2005 फर्जी व कूटरचित होती तो अवश्य ही प्रार्थी अप्रार्थी संख्या छः के विरूद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाता व बेचान रजिस्ट्री निरस्त करने हेतु सिविल दावा सक्षम न्यायालय में पेश करता। प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि– प्रार्थी ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2943 के 1/4 वां हक हिस्से का बेचान, हस्तान्तरण उप पंजीयक कार्यालय भोपालगढ में उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या छः कमलादेवी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी स्वयं ने व अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने उप पंजीयक कार्यालय भोपालगढ में उपस्थित होकर खसरा नम्बर 2943 का कारकूट बैचान अप्रार्थी संख्या छः के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया है। खसरा नम्बर 2943 की भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

कानून निहित नही है इसलिए उक्त भूमि में 1/4 हिस्से का प्रार्थी खातेदार काश्तकार घोषित होने का कतई अधिकारी नही है, इस्तगासा झूठा दर्ज करवाया होगा। दिनांक 24.05 2021 को अप्रार्थी संख्या छः प्रार्थी से मिला ही नहीं तो एलानिया धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। खसरा नम्बर 2943 पर वक्त खरीद से अप्रार्थी संख्या छ का खातेदार काश्तकार की हैसियत से शान्तिपूर्वक कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूमि बाबत् प्रार्थी कोई अधिकार उत्पन्न नही हुए है। प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी तथ्यो पर आधारित होने से हर सूरत में काबिल खारिज फरमाने योग्य है। इसलिए प्रार्थी श्रीमान न्यायालय हाजा से किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी दिनांक 24.05.2021 को अप्रार्थी संख्या छः से मिला ही नहीं तो धमकियां वगैराह देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर सूरत में काबिल खारिज फरमाने योग्य है। प्रार्थी के पक्ष में न तो प्रथमदृष्टया मामला है एवं न ही सुविधा का सन्तुलन है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2943 भूमि अप्रार्थी संख्या छ की खरीदसुदा, कब्जासुद, खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नही हो रही हैं। प्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष सरासर झूठा वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो हर सूरत में काबिल खारिज फरमाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी तथ्यो पर आधारित होने से एवं विधिविरूद्ध होने से तथा श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार का नही होने से मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जाने का आदेश फरमावें।

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाइ जावे कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजीयॉ खसरा संख्या 1111 रकबा 1.4724 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1848 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1849 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1850 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2043 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2398/1 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2398/2 रकबा 0.4369 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2490 रकबा 0.7443 हैक्टेयर का अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 बैचान हस्तांतरण नहीं करे, खुर्द–बुर्द नहीं करे व न ही रहन रखे व आज से 30 वर्ष पूर्व हुए बंटवाड़े में प्रार्थी के बंट में रखी गई भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 किसी प्रकार की दखलदांजी उत्पन्न नहीं करे न किसी अन्य से करावें। ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2544 रकबा 0.5259 हैक्टेयर का बैचान हस्तांतरण प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 नहीं करे, खुर्द–बुर्द नहीं करे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 व 5 दखलदांजी पैदा नहीं करे न किसी अन्य से करावें। ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 2943 रकबा 1.4077 हैक्टेयर भूमि का अप्रार्थी संख्या 6 बैचान हस्तांतरण नहीं करे व प्रार्थी के 1/4 वॉ हक हिस्से में अप्रार्थी संख्या 6 किसी प्रकार की दखलदांजी पैदा नहीं करे न किसी अन्य से करावें अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे प्रार्थी के हक हिस्सा में आई भूमि में कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी पैदा नहीं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

करे न किसी अन्य से करावें । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी सं.6 ने अपनी बहस में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चे के खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया हैं ।

हमने बहस वकुलाय सुनी गई। उभय पक्षकारान बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम खांगटा के खसरा नम्बर 1111, 1848, 1849, 1850, 2043, 2398/1, 2398/2, 2490 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 सहखातेदार है एवं अगर सह खातेदारी भूमि का बिना बंटवाड़ा बेचान हस्तातंरण होगा तो वाद बहुलता बढेगी साथ ही खसरा नम्बर 2544 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 4, 5 सहखातेदार है । उभय पक्षकारान वकीलो द्वारा बहस में बताया गया कि खसरा नम्बर 2493 अप्रार्थी सं. 6 का खरीदसुदा खसरा है एवं अगर खसरा नम्बर 2943 को छोड़कर अन्य खसरान के संबंध में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश दिए जाते है तो उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ को आपति नही हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहे हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद निस्तारण तक ग्राम खांगटा के खसरा नम्बर 1111, 1848, 1849, 1850, 2043, 2398/1, 2398/2, 2490, 2544 में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेगे। किसी भी प्रकार का बेचान हस्तान्तरण, विशेष पड़ौस दर्शाकर नही करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तकलीम दाखिल दफ्तर हो ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर